न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री ढगलू सिंह बनाम श्री गोपाल सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा 212 RTA मु0न0 03/2022 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
14-09.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् मामला प्रथाम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 59 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम फतहपुरिया दोयम पटवार हल्का फतहपुरिया दोयम की विवादित आराजियात का बेचान नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (राहुल जैन) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	